

साक्षात्कार के लिए आमंत्रित उम्मीदवारों हेतु निर्देश

1. साक्षात्कार के दिन उम्मीदवारों को डाटा शीट (नमूने की प्रति संलग्न) जो उन्हें साक्षात्कार स्थल पर दिए जाएंगे, अवश्य भरना होगा और उन्हें यह चार प्रतियों में भरकर व विधिवत हस्ताक्षर कर साक्षात्कार केंद्र/स्थल के प्रभारी अधिकारी के पास जमा करना होगा। प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियों के विवरण निर्देश शीट में दिए गए स्थान में दिए जाने चाहिए।
2. चयनित उम्मीदवार भारत में कंपनी के किसी भी कार्यालय में पदस्थापित किए जा सकते हैं।
3. कंपनी को दी गई सूचनाओं में कोई भी अनियमितता होने पर, कंपनी उन्हें अयोग्य ठहरा देगी जिसके लिए सिर्फ वही उत्तरदायी होंगे और इस संबंध में कोई भी पत्राचार नहीं किया जाएगा।
4. साक्षात्कार डाटा शीट में पूरी सूचना अवश्य दी जानी चाहिए। साक्षात्कार डाटा शीट में सूचनाएं दर्ज करते समय डॉट्स,डैसेज या अन्य कोई अस्पष्ट भाषा/कहावतों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यदि डाटा शीट में दिया गया स्थान अपर्याप्त हो तो उम्मीदवार पृष्ठ के दूसरी तरफ आगे की सूचनाएं दे सकते हैं या इस कार्य हेतु एक अलग शीट का प्रयोग कर सकते हैं।
5. सभी दस्तावेजों की सच्ची प्रतिलिपियों यानि अंक पत्रों, प्रमाण पत्रों, प्रशंसा पत्रों आदि को किसी भी केंद्र/राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी या न्यायिक दंडाधिकारी या सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के अधिकारी जो सहायक प्रबंधक के पद से नीचे के न हों, द्वारा अभिप्रमाणित कराना चाहिए।
6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों को निर्धारित प्रपत्र में रोजगार के प्रयोजनों के लिए सत्यापन प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार रखनेवाले अधिकारियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित, एक जाति प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता होगी। हालांकि अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के उम्मीदवारों को हमारे वेबसाइट के भर्ती अनुभाग में प्रकाशित प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
7. साक्षात्कार के समय, उम्मीदवारों को अपने साथ निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्रों एवं प्रत्येक कागजात की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियों को अवश्य लाना है। इन्हें निर्देश शीट के साथ सत्यापन हेतु संलग्न किया जाना चाहिए -

क) जन्म रजिस्ट्रार के द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र

या

स्कूल/बोर्ड द्वारा जारी स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा का प्रमाण पत्र जो मैट्रिकुलेशन या एच एस सी परीक्षा के समकक्ष हो या अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा प्रमाण पत्र।

यदि आवेदन में उम्मीदवार द्वारा वर्णित जन्मतिथि प्रस्तुत प्रमाण पत्र से असंगत पाया जाता है तो उसकी उम्मीदवारी तत्काल प्रभाव से अस्वीकृत करने एवं वापस लेने के लिए उत्तरदायी होगी।

ख) स्नातक/स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र

ग) अंक पत्र आदि।

घ) व्यावसायिक योग्यता के प्रमाण पत्र/अन्य योग्यताएं,यदि कोई हों तो,

ड) अनुभव प्रमाण पत्र या इसके समर्थन में दस्तावेजी सबूत

च) मूल जाति प्रमाण पत्र।

यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा साक्षात्कार के समय मूल जाति प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत किए जाते हैं तो कंपनी/चयन समिति उनकी उम्मीदवारी को विचार नहीं करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। हालांकि प्राधिकारी ऐसे उम्मीदवारों को साक्षात्कार से 15 दिनों के भीतर कंपनी के पास मूल जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर सकती है। ऐसी समय सीमा का विस्तार देने के बावजूद यदि उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा के भीतर मूल जाति प्रमाण पत्र और या उसकी सच्ची प्रतिलिपि जमा करने में असफल रहता है तो उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी की अस्वीकृति/वापसी के लिए स्वयं ही पूरी तरह उत्तरदायी होगा।

8. इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की पात्रता को निर्धारित करने हेतु मूल कागजात आवश्यक हैं।
9. साक्षात्कार हेतु बुलाए गए बाहरी उम्मीदवारों को रेलवे यात्रा शुरू करने के पर्याप्त सबूत देने पर पत्राचार के लिए वर्तमान पते में दिए गए गंतव्य स्थल तक सबसे कम दूरी वाले मार्ग से आने-जाने का वास्तविक किराया (ए) की प्रतिपूर्ति की जाएगी या कार्य का स्थान/ठहरने का स्थान जहां से उम्मीदवार ने इस उद्देश्य के लिए वास्तव में अपनी यात्रा शुरू की,दोनों में से जो कम हो। उम्मीदवार द्वारा की गई यात्रा का सबूत पेश न कर पाने की स्थिति में, उम्मीदवार किसी भी प्रतिपूर्ति का दावा करने का हकदार नहीं होगा।
10. पत्राचार के पता में बदलाव होने के कारण साक्षात्कार स्थल में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई उम्मीदवार आवेदन में उल्लिखित किसी अन्य जगह से अपनी यात्रा की शुरुआत करता है, तो ऐसे उम्मीदवार को रेलवे किराया(ए) की प्रतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार नहीं होगा और कंपनी के पास उस परिस्थिति को तय करने का विवेकाधिकार होगा जिसमें उम्मीदवार को ऐसी यात्रा करनी पड़ी।
11. यदि कोई उम्मीदवार अभी भी पूर्णकालिक या अंशकालिक अध्ययन जारी रखे हुए है तो उसे साक्षात्कार डाटा शीट में इस उद्देश्य से दी गई जगह पर इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए।
12. निर्देश शीट के साथ कोई भी मूल प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया जाएगा और न ही साक्षात्कार केंद्रों पर प्रभारी अधिकारी के पास जमा किया जाएगा। सिर्फ कागजातों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न की जानी चाहिए और संलग्नकों के बारे में विस्तृत सूचना नीचे इस उद्देश्य से दी गई जगह पर दी जानी चाहिए -

मैंने सारे निर्देशों को पढ़ लिया है और सावधानी पूर्वक उनका अनुसरण किया है। जैसा कि आपके द्वारा वांछित है, मैं निम्नलिखित प्रमाण पत्रों/अंक पत्रों एवं प्रशंसा पत्रों के अभिप्रमाणित सत्य प्रतिलिपियों को सत्यापन हेतु संलग्न कर रहा हूँ-	
संदर्भ सं.	उम्मीदवारों के नाम
क्रम संख्या	कागजातों के विवरण

संलग्न दस्तावेजों की कुल संख्या ----- (अंकों व शब्दों में)

उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व खुद संतुष्ट कर लें कि वे उम्र, योग्यता आदि से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और यदि अनुचित पाया जाता है तो उनकी उम्मीदवारी

भर्ती के किसी भी स्तर पर रद्द की जाएगी। साक्षात्कार में उपस्थित होने मात्र से उन्हें कथित पद पर चुने जाने का अधिकार स्वतः नहीं मिल जाएगा।

स्थान -

दिनांक -

उम्मीदवार का हस्ताक्षर

अनुलेख - कृपया निर्देश शीट के प्रपत्र या इसके किसी हिस्से को न बदलें।

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES CALLED FOR INTERVIEW

- (1) Candidates must fill in the Interview Data Sheet (as per specimen attached) which will be provided at the venue and submit the same duly signed in **quadruplicate** to the Officer-in-charge of interview at the center/venue on the date of interview. Details of the attested true copies of the certificates should be mentioned in this Instruction Sheet in the space provided.
- (2) The selected candidates may be posted in any office of the Company in India.
- (3) Any irregularity committed in furnishing information to the Company shall disqualify the candidate for which he/she shall solely be responsible and no correspondence shall be entertained in this regard.
- (4) Complete information must be furnished in the Interview Data Sheet. Dots, dashes or any ambiguous language/phrases should not be used while furnishing information in the Interview Data Sheet. In case, space provided in the Interview Data Sheet is found insufficient, candidates may incorporate further information overleaf or use a separate sheet for this purpose.
- (5) True copies of all the documents namely mark-sheets, certificates, testimonials etc. should be attested by a Gazetted Officer of the Central/State Government or a Judicial Magistrate or an Officer of Public Sector Insurance Company not below the rank of Assistant Manager.
- (6) Candidate belonging to SC/ST category, are required to furnish a community Certificates in the prescribed format, duly signed by the Authorities empowered to issue verification certificates for employment purpose. However, candidates belonging to OBC category have to submit a caste certificate in the format as published on our website in the recruitment section.
- (7) At the time of interview, candidates must bring with them the following ORIGINAL CERTIFICATES and the attested true copies of each document. These should be attached to this Instructions Sheet for verification: -
 - a) Certificate issued by the Birth Registrar;
OR
School Leaving Certificate from the School/Board OR certificate of an examination recognized by an Indian University as equivalent to matriculation or HSC examination OR any other equivalent recognized examination certificate.
If the date of birth stated by the candidate in the application is inconsistent with the certificate produced, his candidature is liable to be rejected and withdrawn with immediate effect.
 - b) Graduation/Post Graduation Certificates,
 - c) Mark Sheets etc.
 - d) Certificates of Professional qualification / other qualification, if any.
 - e) Experience Certificate or supporting documentary evidence,
 - f) Caste Certificate in original.

If the Caste Certificate in original is not produced by candidate belonging to SC/ST/OBC at the time of interview, the Company/Selection Committee reserves the right not to consider his/her candidature. However, the authorities may give such candidate an opportunity to produce the original Caste Certificate to the Company within a fortnight from the date of interview. In spite of extending such time limit, if the candidate fails to produce the original Caste Certificate and or a true copy of the same within the stipulated time limit, the candidate shall solely be responsible for rejection/withdrawal of his/her candidature.

- (8) Original documents are required, to ascertain the candidate's eligibility for this recruitment.
- (9) Outstation candidates called and appearing for interview shall, on production of sufficient proof of having undertaken railway journey, be reimbursed the actual fare(s) incurred for the SLEEPER CLASS by the shortest possible route; to and fro the destination mentioned in the present address for correspondence OR the place of work/stay from where the candidate actually performed journey for this purpose whichever is less. In the absence of producing proof of having undertaken journey such candidate shall not be entitled to claim any reimbursement.
- (10) Change of venue for interview shall not be permissible on account of change in the address. In case, any candidate undertakes journey from a place other than one mentioned in the application, such candidate shall not be entitled to claim any reimbursement of railway fare(s) and Company will have the discretion to decide the circumstances in which the candidate had to perform such journey.
- (11) If a candidate is still pursuing further studies, either full or part time, he/she should clearly mention this information in the Interview Data Sheet in the space provided for that purpose.
- (12) NO ORIGINAL CERTIFICATES should be attached to this Instructions Sheet and presented to the Officer-in-charge at interview centers. Only attested copies of the documents should be attached and detailed information regarding enclosures should be furnished in the space provided herein below for this purpose.

I have read all the instructions and carefully followed the same. As desired, I enclose the following attested true copies of the Certificates/Marksheets and testimonials for verification purpose :-	
Ref. No. :	Name of the candidate :
Sl.No.	Description of Documents

Total number of documents attached _____ (both figures & words).

The candidates are advised to satisfy themselves before they appear for the interview that they fulfill the requirement as to age, qualification, etc. and if found ineligible, their candidature will be cancelled at any stage of recruitment. Appearing in the interview will not automatically confer any right of being selected for the said post.

Place :

Date :

candidate

Signature of the

P.S. :- Please do not change the format or any part of this Instruction Sheet.